(वाद संख्या–1306/19)

06.04.2021

नोटिस के बावजूद परिवादी, पिंकी देवी, अनुपस्थित है।

संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी के पति को श्री बजरंगबली सहकारी गृह समिति के सदस्यों द्वारा राजीव नगर थाना के पुलिस कर्मियों को मेल में लाकर प्रताड़ित करने, मान–सम्मान हनन करने व झूठे केस में लगातार फँसाये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी के आवेदन पर 04 नामांकित व 10–12 अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध परिवादी के घर पर चढ़कर ईंट–पत्थर चलाने, गाली–गलौज करने, पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने व हत्या करने की धमकी देने के आरोप में भा0द0सं0 की धाराओं, 447/ 504/ 506/34 के अन्तर्गत दीघा थाना कांड संख्या–79/19, दिनांक–08.02.2019 संस्थित किया गया जिसमें **अज्ञात के विरूद्ध**, घटना को सत्य पाकर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित किया जा चुका है। प्रतिवेदनानुसार परिवादी का उपरोक्त कांड के अभियुक्तों के साथ राजीव नगर स्थित कॉपरेटिव की जमीन, जो वादी के पूर्वजों से वर्ष–1984 में क्रय किया गया था, को लेकर पूर्व से भूमि विवाद चला आ रहा है।

आज परिवादी को राज्य आयोग के समक्ष उपस्थिति हेतु नोटिस निर्गत किया गया, लेकिन आज न तो परिवादी राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित हुए और न ही उनकी ओर से अपनी अनुपस्थिति का कोई आधार ही दर्शाया गया है।

अब, जबकि प्रसंगाधीन कांड में पुलिस द्वारा अनुसंधानोपरान्त अज्ञात के विरूद्ध अंतिम प्रतिवेदन समर्पित किया जा चुका है तथा मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तो ऐसी स्थिति में राज्य आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन मामले में कोई

निर्देश/आदेश/अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। परिवादी अगर आवश्यक समझें तो संबंधित न्यायालय में विधिनुसार याचिका दाखिल कर वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं।

उक्त वर्णित स्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के प्रतिवेदन के आलोक में राज्य आयोग के स्तर पर इसे संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक